(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 13] पंचम् विधान सभा के 13वें सत्र का पहला दिवस [संख्या 1

बुधवार

23 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक म.प. 12.15 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अभिभाषण

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त शोक और वेदना के साथ हमारे राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद के आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, जो हमारे राष्ट्रपति थे, अकस्मात हमारे बीच में से चल बसे। श्री अहमद इस राष्ट्र की मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे, महान् राजनीतिज्ञ थे, बड़े जन-सेवक थे, महान् विद्वान थे, मगर सबसे अधिक वे मानवतावादी थे। उनके आकस्मिक निधन ने भारत के जन-जीवन में जो खाई पैदा की है वह भरी नहीं जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, जब श्री फखरुद्दीन अली अहमद के जीवन पर विचार करते हैं तो हमको इस देश के पिछले 70-80 वर्षों के सामाजिक और राजनैतिक जीवन के बारे में खयाल आता है। श्री अहमद उन लोगों में से थे जो यह समझते थे, धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज है और राष्ट्रीय जीवन में उससे खाई पैदा नहीं होनी चाहिए। श्री अहमद आजादी से पहले निरन्तर इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि हिन्दू और मुसलमान इस देश के अन्दर भाई-भाई की तरह से रह सकें, काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। वह जमाना था जब किसी मुसलमान का कांग्रेस में प्रविष्ट होना, उसके द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं की बात करना

Page No 2

(2)

(श्री हरिदेव जोशी)

और एक संयुक्त भारत की कल्पना करना जैसे स्वयं इस्लाम का विरोध करना समझा जाता था। कुछ इने-गिने लोग थे जिन्होंने इस लहर का विरोध किया। उनमें से श्री फखरुद्दीन अली अहमद शीर्षस्थ व्यक्तियों में से एक थे। आजादी से पहले उन्होंने आसाम में, जो उनका कार्यक्षेत्र था, इस भावना को प्रस्फुटित करने की कोशिश की थी और इसका ही परिणाम था कि वहां के जीवन में, हिन्दू और मुसलमान के जीवन में विकृति नहीं आ सकी। उन्होंने पूरे देश को एक धारा में लाने का प्रयत्न किया और अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित किया। वे जब वहां पर मिनिस्टर बने तब भी किसी एक जाति के नुमाइन्दे के रूप में नहीं बल्कि पूरे आसाम के नुमाइन्दे के रूप में उन्हें देखा गया। इसके बाद वे अखिल भारतीय राजनीति में आये। मैं यह कह सकता हूं मौलाना आजाद, किदवई और इस प्रकार के जो लोग थे जो गांधीजी से प्रेरणा पाकर के राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, उनमें वह शीर्षस्थ व्यक्तियों के रूप में थे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद जब अखिल भारतीय राजनीति में आये तो जो छाप उन्होंने अपने प्रांत में छोड़ी थी वही छाप उन्होंने पूरे भारत के जीवन में छोड़ी। श्री अहमद एक मंत्री के रूप में, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के रूप में और फिर राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने रहे। जिस पद पर भी वे रहे, उस पद पर उनका व्यक्तिगत असर मालूम हुआ। वे सबसे भिन्न, मगर सबसे ऊपर और महान् लोगों में महान् मालूम पड़ते थे।

अध्यक्ष महोदय, किसी पद पर कोई व्यक्ति जाता है तो वह व्यक्ति अलंकृत होता है, किन्तु कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर जाता है तो वह पद अलंकृत हो जाता है। फखरुद्दीन साहब मंत्री रहे तो मिनिस्ट्री अलंकृत हुई और राष्ट्रपति रहे तो राष्ट्रपति का पद अलंकृत हुआ। भारत के महान् राष्ट्रपतियों की परम्परा में डा. राजेन्द्र प्रसाद, डा. राधा कृष्णन जैसी विभूतियां इस देश में रही हैं। ठीक उसी श्रेणी में हम श्री फखरुद्दीन को भी देखते हैं जिन्होंने उस पद पर रह कर भारत की गरिमा को ऊंचा उठाया।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद का आकस्मिक निधन उनके परिवार और स्वजनों के लिए एक महान आघात है ही किन्तु संपूर्ण भारतीय जीवन के लिए, 60 करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिये, उनके प्रशंसकों के लिये भी एक महान् आघात है जिस की पूर्ति अपूर्णीय है।

श्री अहमद के लिये जो कुछ कहा जाए वह कम है, वह विविध प्रतिभाओं के धनी थे। जहां भी वह जाते थे दमकते थे।

मैं उनके निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद एक आला दर्जे के इन्सान थे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने देश की आजादी की जद्दोजहद में अग्रणी भाग

(श्री लक्ष्मण सिंह)

लिया। प्रथम आसाम के मंत्रिमंडल के वे सदस्य रहे, तत्पश्चात भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में कई साल तक रहे। वे भारतीय सेक्यूलरिज़्म के बेनजीर नागरिक थे। उनके आकस्मिक निधन से कांग्रेस दल को ही क्षति नहीं पहुंची है बल्कि सारे देश को क्षति पहुंची है। एक महान उच्च कोटि का नागरिक हमारे बीच से हमेशा के लिए उठ गया। मैं अपने दल की ओर से तथा मेरी ओर से राष्ट्रपति श्री अहमद की दिवंगत आत्मा की चिरशांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो आला जर्नाब फखरुद्दीन के बारे में कहा है, उससे मैं इत्तिफाक करता हूं और इस तजवीज को ताईद करता हूं।

वे जंगे आजादी के एक बहुत बड़े सिपहसालार थे और इस देश की कौमी-यक जेहती के एक आला नमूना थे। जिस वक्त असम में फिरकापरस्ती चोटी पर थी, उस वक्त उन्होंने इस मुल्क को सेक्यूलरिज्म का संदेश दिया। उस वक्त साविका मिनिस्ट्री थी और उसकी असम में छाया थी, उस समय फिरकापरस्ती के दलदल से जनता को उठाया और आखिर में उन्होंने इस देश के सामने एक ऐसा नमूना छोड़ा जिस पर चल कर हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। फखरुद्दीन साहब जब तक जिंदा रहे तब तक फिरकापरस्ती के खिलाफ संघर्ष करते रहे। ऐसे इन्सान मुश्किल से पैदा होते हैं।

तू सहल इसे समझा फिरता है फलक,बरसों,
तब खाक के परदे से इन्सान निकलता है।।

वे ऐसी नजीर थे। वे हमारे बीच में आज नहीं रहे मगर उनके कदमों पर चल कर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको इन्सान व इन्सानियत से बड़ी हमदर्दी थी मेरा उनसे मिलने का इत्तिफाक नहीं हुआ था लेकिन आखिरी बार जब वे जयपुर में तशरीफ लाए तो मुख्य मंत्रीजी ने करम मुझ पर फर्माया और मेरा उनसे ताल्लुक कराया। वे ऐसे मिले, जैसे कोई अपनी औलाद से मिलता हो। इस चीज से यह साबित होता है कि किसी रुतबे पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने 'इन्सानियत' को नहीं छोड़ा। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन जो चीजें वे छोड़कर गए हैं, जो विरासत हमें उनसे मिली है, अगर हम उसको हिफाजत से रखें और श्रीमती इंदिरा गांधी व जवाहरलाल नेहरू ने सेक्यूलरिज्म की विरासत जो हमारे लिये छोड़ी है, अगर उस पर चलें तो हम इस मुल्क को खुशहाल बना सकेंगे।

इन्हीं अलफाज के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी रूह को आराम मिले, उनके पस खानदान को सकून मिले। बेगम आबिदा तक ये हमदर्दी के अलफाज जरूर इस सदन के मार्फत पहुंच जाने चाहिए। इस सदन से इस किस्म का पैगाम उनके परिवार को भेजा जाय,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
बेगम आबिदा को भेजा जाए कि इस गम में पूरा सदन आपके साथ है और आपके इस गम में हिस्सा बंटाने को तैयार है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस तजवीज की ताईद करता हूं और दुआ करता हूं कि खुदा उनकी रूह को आराम दे।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो शोक प्रस्ताव हमारे महान् राष्ट्रपतिजी के देहावसान के बारे में रखा उसका मैं अपनी ओर से व अपनी अपनी पार्टी की तरफ से तहेदिल से अनुमोदन करता हूं। वास्तव में श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने अपने देश की आजादी के लिए बहुत ही जबर्दस्त कार्य किया था। वे एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने देश के लिये बहुत बड़ा त्याग किया था। इसके साथ ही श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब हिन्दू मुसलमानों की एकता के प्रतीक थे। उन्होंने हिन्दू मुसलमानों की एकता के लिये बहुत ही जबर्दस्त कार्य हमारे देश के अन्दर करके एक उदाहरण पेश किया था।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी संवेदना उनके परिवार जनों को भेज रहा हूं। साथ ही, अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव यहां रखा गया है उसका मैं मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब देश के उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनकी गणना देश के बड़े राजनैतिक नेताओं में होती है। उन्होंने हमारे देश में ऐतिहासिक समय में जिस गम्भीरता से काम किया वह बहुत ही काबिले तारीफ है। वे हिन्दू-मुसलमानों की एकता के प्रतीक थे। हमेशा ही उनकी नीयत साफ रही। उन्होंने जो भी काम अपने समय में किया वह साफ नीयत से किया। अध्यक्ष महोदय, जो सदन में मुख्य मंत्रीजी ने शोक प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और अपनी तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धान्जलि पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों ने यहां सदन में हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब के प्रति जो भावना व्यक्त की है उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग हालात में हमारे देश की सेवा की है। उन्होंने अपना जीवन एक बहुत बड़े वकील की हैसियत से प्रारम्भ किया था। उन्होंने एक बहुत बड़े बैरिस्टर की हैसियत से सबसे पहले लाहौर में काम शुरू किया। उसके बाद में वे आसाम में गोहाटी में चले गये। आसाम में ही उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया। सबसे पहले आसाम की विधान सभा के सदस्य बने और आगे जाकर वहां पर मंत्री भी बने। इसके बाद में वे समय समय पर अपने देश के बाहर भी गये। उन्होंने यू.एन.ओ. इत्यादि में अपने देश के जो डेलीगेशन गये थे उनका नेतृत्व भी बहुत ही कुशलता से किया। उन्होंने हमारे देश की प्रतिष्ठा को विदेशों में बढ़ाया। इसके बाद में जब उनको केन्द्रीय मंत्रीमंडल में शामिल किया गया तो उन्होंने वहां बहुत ही उम्दा

(श्री अध्यक्ष)

तरीके से काम किया । आखिर में उनको हमारे भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब की गणना हमारे भारत के उन राष्ट्रपतियों में होती है जो कि बहुत ही ऊंचे राष्ट्रपति हमारे देश के थे।

स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब एक बहुत ही अच्छे देश भक्त थे। वे एक बहुत ही ऊंचे इन्सान थे, एक बहुत बड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, एक बहुत बड़े स्वतन्त्रता सेनानी थे, एक मायने में सभी कुछ थे। इतना ही नहीं वे एक बहुत बड़े खिलाड़ी भी थे। इसके साथ ही वे खिलाड़ियों के प्रेमी भी थे। हमारे देश में जब जब भी खेलों के मैचेज हुए तो अच्छे मैचेज देखने वह जाया करते थे। इतना ही नहीं अभी कुछ समय पहले जब विदेश यात्रा पर कोआलालम्पुर गये थे और वहां बीमार भी हो गये थे पर फिर भी उन्होंने वहां पर गोल्फ का खेल खेला था। उसके बाद में वे और ज्यादा बीमार हो गये इससे यह पता चलता है कि वे खेल के किस कदर प्रेमी थे और किस कदर के ऊंचे खिलाड़ी थे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश की मिली-जुली सभ्यता के प्रतीक थे। वे हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही समानता से देखते थे और हिन्दू-मुसलमान दोनों की ही इज्जत करते थे। वे हमारे देश के बहुत बड़े राष्ट्रपति थे और एक नेक दिल इन्सान थे। जो भी उनसे मिलता वे उससे बहुत ही शराफत के साथ मिलते थे, वे एक महान् आत्मा थे। उनके बारे में एक शेर मुझे इस वक्त याद आता है-

"हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी मृत आत्मा को शान्ति तथा उनके परिवार वालों को सान्त्वना प्रदान करें।

अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने के लिये प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की एवं श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्वर्गीय सर्व श्री भैरूंसिंह कैलवा, ए. के. गोपालन, केशरीसिंह खींवसर एवं त्रिवेणी श्याम को श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के पिछले चुनाव के दरमियान उदयपुर जिले के अन्दर एक ट्रक दुर्घटना हुई। उसमें इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री भैरूंसिंहजी कैलवा का देहावसान हो गया। श्री भैरूंसिंहजी कैलवा प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे और उदयपुर जिले से चुनकर यहां पर आये थे। श्री भैरूंसिंहजी कैलवा ने प्रथम विधान सभा की कार्यवाही में काफी सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने सदन की कार्यवाही में काफी दिलचस्पी ली थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में भी काफी कार्य किया था। ट्रक दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाने से हम सभी को बड़ी चोट लगी है। उस मृत आत्मा को शान्ति मिले इसके लिये मैं प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही परमात्मा को प्रार्थना

(श्री हरिदेव जोशी)
करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा के स्वजनों को धैर्य व शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट ग्रुप के अग्रणी नेता श्री ए. के. गोपालन का देहावसान हो गया। श्री गोपालन हमारे देश के बड़े स्वतन्त्रता सेनानी थे और अपने क्षेत्र के उजागर कार्यकर्ता थे। उनकी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है। वे एक लम्बे अर्से से बीमार चले आ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, श्री गोपालन हमारे देश की पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे थे। वे एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन भी थे। वे एक अच्छे किसान कार्यकर्ता थे और किसान कार्यकर्ता के रूप में उनकी बहुत बड़ी देन थी। श्री गोपालन भारत के राजनैतिक जीवन के अग्रणी नेताओं में से एक रहे हैं। मैं उनके निधन पर अपने हृदय से शोक प्रकट करता हूं व प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। मैं परमात्मा से यह भी प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा के परिवार जनों को इस दुःख को बरदाश्त करने की क्षमता प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, एक और इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री केशरीसिंहजी खींवसर का भी पिछले दिनों देहावसान हो गया है। वे भी प्रथम विधान सभा के सदस्य थे और जोधपुर डिविजन के नागौर जिले से चुन कर आये थे। श्री खींवसर अपने आप में एक व्यक्तित्व थे। उनके निधन से हम सब को चोट लगी है। मैं परमात्मा से उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूं और यह कामना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार को संतोष मिले, धैर्य मिले।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी श्याम का भी देहावसान हो गया। वे इस सदन के काफी सक्रिय कार्यकर्ता, सदस्य थे। उनका अपने क्षेत्र दौसा सब-डिविजन में काफी असर था। वे एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, वक्ता और वकील थे। उनके निधन से उनके क्षेत्र में एक बड़ी कमी हुई है। मैं परमात्मा से उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं। भगवान् उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करें, यह कामना भी मैं करता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री ए. के. गोपालन एक उच्च कोटि के पार्लियामेंटेरियन थे और देश भक्त थे। वे बड़े किसान नेता थे और अपने दल के कई साल तक सम्माननीय नेता रह चुके थे।

श्री भैरूंसिंहजी कंलवा को मैं खूब अच्छी तरह से जानता था। जिस हृदय-विदारक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई उसको मैंने देखा था। श्री भैरूंसिंह जी सिद्धान्ततः एक विरोधी विचार के सम्माननीय व्यक्ति थे। उनके निधन से चारभुजा और कांकरोली क्षेत्र का प्रमुख नागरिक हमेशा के लिये उठ गया है।

श्री केशरीसिंहजी खींवसर मेरे साथ मेयो कालेज में पढ़ते थे। मैं उन्हें खूब अच्छी तरह से जानता था। मुझे तो आज ही पता पड़ा कि वे भी हमारे बीच में नहीं हैं।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा को मैं नहीं जानता। लेकिन सदन के सम्माननीय नेता

(श्री लक्ष्मणसिंह)
ने जो कुछ भी कहा उनकी भावना को मैं समर्थन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सभी दिवंगत आत्माओं की चिर शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे दल और मेरी ओर से उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति और संवेदना प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी गोपालन काफी–अर्से से बीमार थे और आखिर हमारे बीच में से उठ गये। वे असल में अपने आप में एक इन्स्टीट्यूशन थे। सन् 1904 में पैदा होने के बाद जब उन्होंने होश सम्भाला तो उस समय कांग्रेस आजादी की जंग लड़ रही थी, उसमें वे शामिल हुए और उस आजादी की जंग में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। आजादी के बाद और उससे पहले भी वे कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे और उसके एक बहुत बड़े नेता थे। सन् 1964 में पार्टी का विभाजन हुआ तो मार्क्सिस्ट पार्टी में चले गये। लेकिन जहां भी वे गये उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया। आज मुल्तलिफात के बावजूद हिन्दुस्तान का हर नागरिक उन्हें चाहता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, या कांग्रेस से हो, उनके निधन से सभी को गम है। उन्होंने न सिर्फ जंगे आजादी के लिये जद्दोजहद किया बल्कि मजदूरों के लिये संघर्ष करने में उनका जीवन लगा। संघर्ष में ही उनको बीमारी लगी, वर्षों जेल में रहे, मुकदमे दायर करते रहे और खुद ही उनकी पैरवी करते रहे। वे ऐसे शख्स थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उन्होंने संघर्ष किया या मजदूरों के लिये जिन्दगी बिता दी। मैं उनको अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री भैरूंसिंहजी कैलवा, केशरीसिंह जी खींवसर और श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा के सम्बन्ध में सदन के नेता ने जो कुछ भी कहा उसकी मैं ताईद करता हूँ। त्रिवेणीश्याम एक अच्छे खयालात के आदमी थे। उनकी मौत हमारे लिये काफी नुकसान पहुंचाने वाली है।

इन्हीं शब्दों के साथ इन लोगों को श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए व सदन के नेता की बात की ताईद करते हुए यह कामना करता हूँ कि उनकी रूह को शान्ति प्रदान हो।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता के चार व्यक्तियों के देहावसान के प्रति जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

जहां तक कामरेड ए. के. गोपालन के निधन का प्रश्न है 75 वर्ष का उनके राजनैतिक जीवन का इतिहास है किन्तु 75 वर्ष की जिन्दगी में संघर्ष करते हुए उनकी जिन्दगी बीती। उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में जितनी कठिनाइयां उठायीं, वे बेमिसाल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे किस प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज के जबरदस्त पोषक थे, इमर्जेन्सी काल में उन्होंने यह अच्छी तरह से बताया। कायदे से कानूनवेत्ता न होते हुए भी अपने मामलों में और सन् 1951

Page No 8

(8)

(श्री मोहर सिंह)

के हैबियस कोर्पस के केस के अन्दर भी किस प्रकार से वकालत स्वयं उन्होंने की, वह कानून की किताबों को पढ़ने वालों को अच्छी तरह से मालूम है। निरन्तर 45 वर्ष तक उन्होंने मेहनतकश मासेज का जो नेतृत्व किया वह भी बेमिसाल है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। वे वर्षों तक आल इन्डिया किसान सभा के प्रधान रहे। उनके साथ रहने का मौका मिला। आन्दोलनों, जलुसों, अनुशासन प्रियता, विद्वत्ता से आल इन्डिया किसान सभा को उन्होंने मजबूत किया। उनके गुणों की सर्वत्र प्रशंसा थी। काफी गुणों का उनमें समावेश था। सन् 1975 की इमर्जेन्सी लगने के बाद पार्लियामेन्ट में हुआ उनका पहला भाषण आज भी डाकुमेंट के रूप में कम्युनिस्ट इतिहास में, कम्युनिस्ट आंदोलन में बेमिसाल है। गंगानगर किसान आंदोलन में आर.ए.सी. की गोलियों के बीच किस प्रकार निर्भीकता से उन्होंने भाषण दिया और गोलियों की परवाह नहीं की चाहे जीवन रहे या न रहे, यह एक ऐतिहासिक घटना है। निर्भीकता और कर्मशक्ति उनकी प्रबल थी। उनकी जिन्दगी का इतिहास प्रशंसनीय और सराहनीय है। सारा जीवन उनका सही नेतृत्व से भरा हुआ है। उन्होंने हिन्दुस्तान के किसान आन्दोलन को आगे बढ़ाने में जबरदस्त काम किया। किसानों व मजदूरों की एकता के लिये वे किस प्रकार काम करते रहे और संघर्ष करते रहे यह हमारे लिये बेमिसाल है और अनुकरणीय है। उन कामों में लगे रहना और आगे बढ़ाना ही हमारी उनके प्रति सही श्रद्धान्जलि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में कामरेड ए.के. गोपालन के लिये जो शोक प्रस्ताव आया है उसको मैं अपना समर्थन देता हूं।

साथ ही सदन के माननीय नेता ने जो भैरूंसिंह जी, केशरी सिंह जी खींवसर और त्रिवेणी श्याम जी के लिए शोक प्रस्ताव रखा है इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने समय में जो काम किये वह वास्तव में अनुकरणीय हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते समय उनके गुणों को याद हमें करना चाहिये और उनका अनुकरण करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखे हैं उनका तहेदिल से मैं अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूँ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, कामरेड ए. के. गोपालन की आजादी से पहले और आजादी के बाद हमारे राजनैतिक जीवन को बहुत बड़ी देन हैं। इमर्जेन्सी के दौरान में पार्लियामेंट के अन्दर आखों में 'आंसू' और भरे दिल से उन्होंने स्पीच दी थी वह स्पीच हमेशा एक हिस्टोरीकल डाकुमेन्ट रहेगा। सारे केरल के जीवन में वह बहुत इनडिस्पेन्सीबल रहे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। विशेष बात उनकी यह रही है कि वे मास आर्गनाइजेशन में शामिल हुए।

श्री भैरूंसिंह कैलवा, श्री केसरीसिंह खींवसर और श्री त्रिवेणी श्याम जी–इनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों ने जो श्री ए. के. गोपालन, भैरूंसिंह जी कलवा, केसरीसिंह जी खींवसर तथा त्रिवेणी श्यामजी के प्रति श्रद्धांजलि भरे भाव व्यक्त किये हैं उसके अन्दर मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

कामरेड श्री ए. के. गोपालन भारत की राजनीति में अपना विशेष स्थान रखते थे। वे बड़े विलक्षण बुद्धि के थे। वे किसान नेता थे और शुरू-शुरू में कांग्रेस में रहे। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी में गये और फिर आगे जाकर कम्युनिस्ट पार्टी में गये। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ तो वह सी. पी. एम में चले गये। उनकी क्षति इस समय देश की ऐसी क्षति है खास तौर से सी. पी. एम. के लिए कि उसकी पूर्ति नजर नहीं आती है। देश के लिये उनकी हानि शोक का कारण है। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसी तरह से केशरीसिंह जी खींवसर पहली विधान सभा के सदस्य थे। वे अपने ढंग के एक ही आदमी थे। वे बड़े मजाकी आदमी थे। उनकी बहुत सी बातें हैं–एक बात मैं आपको उनकी सुनाऊंगा। वे शरीर से भी काफी भारी थे। एक दफा वे यहां बैठे हुए थे। जब वे उठने लगे तो कुर्सी उनके साथ ही साथ उठ गयी। सारा सदन इस बात पर हंसने लग गया। इतने भारी थे। लोग हंसने लगे तो वह कहने लगे कि राजनीति में कुर्सी के चिपके रहते हैं मैंने क्या बेजा किया। ऐसे कुछ लतीफे उनके जमाने के रहे हैं। वे बहुत अच्छे आदमी थे। उनका काफी सहयोग सदन में रहा है।

इसी तरह से त्रिवेणी श्याम जी प्रजा-मण्डल के समय से कांग्रेस में काम करते रहे। वे अध्यक्ष भी रहे, वकालत करते थे और एम. ए., एल. एल. बी. थे। यहां पर सदन में काफी दिलचस्पी लेते रहे थे।

इसी तरह से भैरूंसिंह जी भी बहुत ही दिलचस्पी सदन के कामों में लेते थे। वे सामाजिक कार्यकर्त्ता और एम. ए., एल एल. बी. थे। उन्होंने भी काफी दिलचस्पी से काम किया। मैं चारों माननीय सदस्यों के प्रति श्री ए. के. गोपालन, ठाकुर केशरीसिंह खींवसर, भैरूंसिंह जी और त्रिवेणी श्याम जी के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति और सारे परिवार के लोगों को शक्ति मिले।

दो मिनट खड़े होकर आप सब मौन धारण करेंगे।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत-आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की व श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही दिनांक 24 मार्च, 1977 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.56 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 24 मार्च, 1977 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

[सर्वश्री लक्ष्मणसिंह, जीविग, विट्ठल भाई. गुमानमल लोढ़ा, गुरदयाल सिंह संधु, केदारनाथ, अजीतसिंह, मानसिंह, रामसिंह कुड़ी, मूलचन्द सामरिया, गोरधनसिंह व मोहरसिंह (सादुलपुर) ने अभिभाषण प्रारम्भ होने से पूर्व सदन से बहिर्गमन किया]

माननीय सदस्यगण,

विधान सभा के इस बजट सत्र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।

यह सत्र छठी लोक सभा के आम चुनाव के पश्चात् मिल रहा है, जो कई दृष्टियों से एक ऐतिहासिक चुनाव था। यह महत्वपूर्ण बात है कि ये चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं शान्त वातावरण में सम्पन्न हुए हैं। 1976–77 का वर्ष एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है कि इसमें आर्थिक एवं समाजवाद की चेतना तेजी के साथ बढ़ी है और उसके साथ नये उद्देश्य भी स्पष्ट होते जा रहे हैं।

आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी तेजी के साथ ठोस कदम उठाये जिनका लाभ विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े तबके के लोगों को अधिक मिला। भूमि सुधार के सम्बन्ध में सीलिंग कानून के अन्तर्गत तेजी से प्रगति हुई है और दिसम्बर, 1976 तक भूमि के कुल निपटाये जाने योग्य 86 हजार 762 मामलों में से 85 हजार 530 मामले निपटाये जा चुके हैं। सीलिंग कानून के अन्तर्गत दिसम्बर, 1976 तक 4 लाख 95 हजार 174 एकड़ भूमि कब्जे में ली गई जिसमें से 1 लाख 26 हजार 183 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई है। शेष भूमि में से कुछ भूमि ऐसी है जिसका आवंटन इस कारण नहीं हो सका कि वह भूमि राजस्थान नहर क्षेत्र की है, या मौके पर कृषि योग्य नहीं है अथवा विभिन्न न्यायालयों से उनके बाबत स्थगन आदेश हैं। बाकी 53 हजार एकड़ भूमि ऐसी है जिसका आवंटन अब किया जा रहा है।

भूतपूर्व राजा महाराजाओं की सीलिंग से अधिक 59 हजार 510 एकड़ भूमि को अवाप्त करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं परन्तु अभी भी अनेक भू-स्वामियों की रिट-याचिकाएं विचाराधीन होने के कारण भूमि अवाप्त नहीं हो पायी है।

भूमिहीन काश्तकारों को भू-आवंटन का काम तेजी के साथ किया गया जिसके अन्तर्गत नान-कमाण्ड क्षेत्र में 2 लाख 70 हजार 807 व्यक्तियों को 7 लाख 84 हजार 144 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। छोटी एवं मध्यम सिंचाई योजना के कमाण्ड क्षेत्र में 30 हजार 412 व्यक्तियों को 86 हजार 947 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार आवंटित भूमि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत 55.8 है। इसके अतिरिक्त बड़ी सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र

में भी 3 लाख 60 हजार एकड़ भूमि का आवंटन और हुआ है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 1 लाख 45 हजार एकड़ भूमि का आवंटन हुआ है जो कुल का 40 प्रतिशत है। साथ ही सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए भी मुस्तैदी से कदम उठाये गये हैं।

भू-अभिलेख के अन्तर्गत कुल निपटाने योग्य बकाया नामान्तरकरण के मामले 9 लाख 79 हजार 406 थे जिनमें से 9 लाख 48 हजार 300 मामले निपटाये जा चुके हैं शेष 31 हजार 106 मामलों को भी तेजी के साथ निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। भू-अभिलेख के शेष काम को तेजी के साथ निपटाने के लिए वर्ष 1976-77 को राज्य सरकार ने भू-अभिलेख वर्ष घोषित किया था।

चालू वर्ष में वर्षा ठीक समय पर प्रारम्भ हुई और राज्य में जुलाई व अगस्त में सर्वत्र अच्छी वर्षा रही। लेकिन अगस्त में कुछ भागों में वर्षा के अधिक होने से कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई जिसका खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष रबी में गेहूं की अधिक उपज देने वाले 35 हजार 874 क्वि. बीज का वितरण किया गया है जब कि गत वर्ष 29 हजार 200 क्वि. बीज ही वितरित किया गया था। इसी प्रकार इस वर्ष में खरीफ में कुल 1 लाख 44 हजार 963 टन रासायनिक उर्वरक वितरित किया गया जब कि गत वर्ष 1 लाख 21 हजार 216 टन रासायनिक उर्वरक ही वितरित किया गया था। रबी में इस वर्ष 3 लाख 56 हजार 356 टन रसायनिक खाद किसानों को वितरित करने का लक्ष्य था जब कि गत वर्ष 2 लाख 73 हजार 910 टन रसायनिक खाद वितरित किया गया था। अगले पूरे वर्ष में 6 लाख 9 हजार 166 टन रसायनिक खाद वितरित करने का लक्ष्य है।

विश्व बैंक की सहायता से चम्बल एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में चल रहे कृषि-विस्तार कार्यक्रम के परिणाम बहुत उत्साहवर्द्धक रहे हैं। इस आधार पर राज्य के 17 जिलों में इस वर्ष खरीफ की फसल से कृषि-विस्तार की नयी प्रणाली को अपनाया गया है। आशा है कि इस नयी प्रणाली के क्रियान्वयन से आगामी वर्षों में राज्य के कृषि-उत्पादन में आशातीत वृद्धि होगी। इस वर्ष 75 लाख टन खाद्यान्न, 4 लाख 70 हजार टन तिलहन, 19 लाख 50 हजार टन गन्ना व 3 लाख 70 हजार कपास की गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। खरीफ उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। आगामी वर्ष में 78 लाख टन खाद्यान्न, 4 लाख 70 हजार टन तिलहन, 20 लाख 25 हजार टन गन्ना व 3 लाख 90 हजार गांठें कपास के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान कृषि उद्योग निगम को भारत सरकार से जयपुर व जोधपुर में यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्र की स्थापना करने हेतु अनुदान प्राप्त हो गया है जिससे वे संयंत्र शीघ्र ही उत्पादन शुरू कर देंगे। कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए निगम ने बड़ौदा बैंक से प्रदत्त आर्थिक सहायता से एक योजना शुरू की है जिसके अनुसार कृषकों को उचित कीमत पर पम्पिंग सैट व उनका साज-सामान दिया जाएगा।

(12)

गेहूं व मोटे अनाज के वितरण की व्यवस्था पूर्ण रूप से संतोषजनक रही। इस वर्ष राज्य ने केन्द्र सरकार से मोटे अनाज की कोई मांग नहीं की और केन्द्रीय सरकार से जो गेहूं प्राप्त हुआ उसे जिलों में आवण्टित कर दिया गया किन्तु जिलों द्वारा गेहूं के आवण्टन के मुकाबले में उठाव कम रहा जिसका मुख्य कारण यह था कि गेहूँ के खुले बाजार की दर राजकीय गेहूं की निश्चित दर से आम तौर पर कम थी। अब भी उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूँ के लिए कोई विशेष मांग नहीं है, परन्तु अब भाव बढ़ जाने से सब जिलों को गेहूं का आवण्टन कर दिया गया है एवं राशन की दुकानों से वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है। अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, खाने का तेल व वनस्पति घी, कपड़ा, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट आदि की वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रूप से रही। उक्त वस्तुओं की पूर्ति प्रायः पर्याप्त रही। केवल खाने के लिए मूंगफली, सरसों व तिल्ली के तेल एवं वनस्पति घी के भावों में कुछ वृद्धि रही जिसका मुख्य कारण यह था कि गुजरात से मूंगफली व मूंगफली के तेल की आवक बहुत कम हो गई। इसके मुकाबले में राजस्थान से सरसों व तिल्ली व उनके तेल निकटवर्ती राज्यों में बिना रोक-टोक निर्यात किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से यह मांग की गई है कि वो गुजरात सरकार पर दबाव डाले ताकि वहां से मूंगफली एवं उसका तेल बिना रोक-टोक आ सके और लगे प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाये जावें।

कृषि के साथ ही साथ राज्य में पशुपालन व पशुचिकित्सा में भी योजनाबद्ध प्रगति हुई है। केन्द्रीय सरकार के सहयोग से जयपुर स्थित प्रादेशिक जैविक उत्पादन प्रयोगशाला में मुंह व खुर रोग का अनुसंधान-कार्य प्रगति पर है और साथ ही कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इस रोग के निरोधक टीके भी लगाये जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में जैविक उत्पादन प्रयोगशाला का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। नस्ल-सुधार हेतु आदिवासी क्षेत्रों में श्रेष्ठ पशु पालकों का वितरण किया जायेगा। इसी प्रकार उन्नत तकनीक एवं विभिन्न विधियों के अपनाने से मत्स्य उत्पादन भी 10.50 हजार टन प्रतिवर्ष हो जाने की सम्भावना है।

राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था में भेड़-पालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के अधिकांश भेड़-पालक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। भेड़ व ऊन विकास के लिए नस्ल-सुधार हेतु संकर प्रजनन, चिकित्सा सेवा तथा चरागाहों के विकास की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है।

राजस्थान में डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जोधपुर, बीकानेर में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का संयंत्र लगाया जा रहा है। आशा है अगले माह यह संयंत्र प्रारम्भ हो जायेगा। कोटा में भी संयंत्र लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार पोकरण, पाली, बालोतरा, मेड़ता सिटी, लूणकरणसर व सरदारशहर में भी 10 हजार लीटर प्रतिदिन के चिलिंग प्लान्ट्स स्थापित किये जा चुके हैं और सभी कार्यरत हैं। अधिकांश केन्द्रों पर क्षमता से अधिक दूध

प्राप्त होने के कारण इन सभी केन्द्रों की क्षमता 20 हजार लीटर प्रतिदिन में बदली जा रही है। इन सभी योजनाओं पर 1 लाख 61 हजार लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया जा रहा है जिसमें से 87 हजार लीटर दूध प्रतिदिन दिल्ली भेजा जा रहा है। चालू वर्ष में भरतपुर, सवाई माधोपुर व टोंक जिलों में भी दुग्ध विकास योजना प्रारम्भ कर दी गई है।

राज्य के समस्त गांव तथा अधिक से अधिक कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाये जाने व उन्हें सहकारी ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में सहकारी संस्थायें व्यापक रूप से कार्य कर रही हैं। दिसम्बर, 1976 तक प्राथमिक कृषि-ऋणदात्री सहकारी समितियों के 21 लाख 53 हजार कृषक परिवारों को सदस्य बनाया गया है जिनमें 9 लाख 23 हजार परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं। आगामी वर्ष में शत-प्रतिशत कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाये जाने का लक्ष्य है।

कृषि-उत्पादन-कार्य के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि-ऋणदात्री समितियों के माध्यम से कृषक सदस्यों को अल्प व मध्यकालीन ऋण का प्रावधान 1975–76 में 60 करोड़ रुपये था जो चालू वर्ष में बढ़कर 70 करोड़ रुपये रखा गया है। राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने दिसम्बर, 1976 तक 22 हजार 791 मकानों के निर्माण हेतु कुल 813 गृह-निर्माण सहकारी समितियों को 9.94 करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किये हैं। जिसमें से 21 हजार 476 मकानों के निर्माण हेतु 748 गृह-निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से 8.59 करोड़ रुपये का ऋण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को स्वीकृत किया गया है।

विभिन्न सिंचाई योजनाओं के द्वारा वर्ष 1976–77 में कृषि योग्य कुल 167 लाख हैक्टर भूमि में से 32.87 लाख हैक्टर भूमि पर सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं। जिन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चालू है उनमें से मेंतपुरा को इस वर्ष लगभग 2 हजार हैक्टर भूमि की सिंचाई क्षमता के साथ जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जायेगा। गोपालपुरा एवं सेई परावर्तन को अगले वर्ष में पूरा कर लिया जावेगा।

राजस्थान नहर को पोंग बांध से समुचित मात्रा में जल उपलब्ध होने से सन् 1975-76 में 2.88 लाख हैक्टर भूमि में सिंचाई की गई। चालू वर्ष में 3 लाख हैक्टर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। मुख्य नहर के द्वितीय चरण के निर्माण-कार्यों के लिए वांछित जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की कुछ मात्रा पिछले वर्ष छोड़ी गई थी। द्वितीय चरण में वनी पायलेट चैनल में भी पानी आगे से आगे पहुंच रहा है। इस नहर के प्रथम चरण पर पूर्व निर्धारित 5.4 लाख हैक्टर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के विरुद्ध 4.65 लाख हैक्टर क्षेत्र में मार्च, 1977 तक सिंचाई कराई जा सकेगी। नहर के द्वितीय चरण पर भी काम तेजी के साथ चालू है। साथ ही सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों के तहत चैनलों का लाईनिंग, धोरों का निर्माण एवं कृषि-विकास, भूमि-विकास

जैसे कार्यों को और तेज गति दी जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में चालू वर्ष में और प्रगति हुई है। वर्ष 1976 के अन्त तक राज्य में विद्युतीकृत गांवों एवं कुओं की संख्या क्रमशः 7 हजार 952 एवं 1 लाख 4 हजार 562 हो गई है। दिसम्बर माह तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति की 1 हजार 545 बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युत् मण्डल राज्य की बढ़ती हुई विद्युत् मांग को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। चालू वर्ष में 204 किलो मीटर लम्बी 132 के. वी. लाइन का कार्य अब तक पूर्ण कर लिया गया है। राजस्थान नहर क्षेत्र भी 92 कि. मी. 132 के.वी. लाइन बीकानेर से बज्ज पहुंचा दी गई है। इस वर्ष कोटा ताप बिजली घर की 81.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की योजना की केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण एवं योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है जिससे 110 मेगावाट क्षमता की दो यूनिटें लगेंगी। इसके लिए वर्ष 1977–78 में 4 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक प्रावधान कर दिया गया है। माही बहुद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत भी विद्युत्-उत्पादन की योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 1.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं से राज्य की भावी मांग की काफी पूर्ति होगी। चालू वर्ष की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि राज्य में पहली बार बिजली का औसत दैनिक उपभोग 1 करोड़ यूनिट हो गया जो मार्च 1977 के अन्त तक 1.30 करोड़ यूनिट तक पहुंच जाने का अनुमान है।

औद्योगिक उत्पादन एवं विकास के लिए चालू वर्ष काफी महत्व का रहा है। मालिकों एवं श्रमिकों के बीच सौहार्द की भावना जागृत होने के फलस्वरूप राज्य में स्थापित विभिन्न इकाइयों के उत्पादन जैसे वाटर-मीटर, कैलशियम कार्बाइड, कास्टिक सोडा, पी.वी.सी. रजिन्स, पी.वी.सी. कम्पाउण्ड एवं बाल-बियरिंग में निरन्तर वृद्धि हुई है। राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की स्कूटर एवं टेलीविजन की इकाइयों के उत्पादन प्रारम्भ करने की रही है। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने कैलशियम कार्बाइड एलीमेन्टल फासफोरस एवं स्पेशल स्टील परियोजना हेतु निजी क्षेत्र के साथ तीन नये अनुबंध इस वर्ष में किये हैं। निगम ने सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले कॉटन-स्पिनिंग मिल एवं कॉटन-सीड आयल काम्पलेक्स में भी सहयोगी बनने का निर्णय लिया है। इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राजस्थान के औद्योगिक विकास को निश्चय ही एक नई दिशा मिलेगी।

उद्योग स्थापित करने वाले उपक्रमियों को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करने के ध्येय से सरकार ने राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के माध्यम से उद्योगों के लिए 60 लाख रुपयों तक के अवधि-ऋण दिये जाने की व्यवस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से कर ली है एवं इसके अतिरिक्त विदेशों में बसे भारतीयों को राजस्थान में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से

योजना प्रारम्भ की गई है। वित्त निगम ने इस वर्ष में दिसम्बर माह के अन्त तक 146 औद्योगिक इकाइयों को 226.28 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं एवं इसी अवधि में कुल 318.53 लाख रुपये की ऋण राशि का वितरण किया। गत वर्ष में इसी अवधि में वितरण की गई राशि 276.04 लाख रुपये थी। इस प्रकार वितरण की गई राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाथ कर्घा योजना के माध्यम से नयी डिजाइन के कपड़े, जिनकी मांग अन्य राज्यों अथवा विदेशों में है, का उत्पादन भी प्रारम्भ करने हेतु इस वर्ष के लिए तीन हजार उन्नत कर्घों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर माह तक कुल 845 हाथ कर्घों का वितरण बुनकरों को किया जा चुका है। बिचौलियों के चंगुल में जकड़े हुए बुनकरों को आर्थिक स्वतन्त्रता दिलवाये जाने के प्रयास भी जारी हैं। चयनित क्षेत्रों में बुनकर जहां प्रतिदिन लगभग 3 रु. मजदूरी प्राप्त करता था वहां अब 4 रु. से 5 रु. के बीच दैनिक मजदूरी प्राप्त करने लगा है।

राज्य में औद्योगिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना एवं उनके विकास में अन्तर्निहित है। वर्ष 1975 के अन्त तक राज्य में 19 हजार 239 लघु उद्योग इकाइयां पंजीकृत थीं जब कि 1976 के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर 21 हजार 926 हो गई है।

ऊन-उत्पादन के सम्बन्ध में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है यहां देश भर के उत्पादन की 40 प्रतिशत ऊन पैदा होती है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये के मूल्य की ऊनी खादी का उत्पादन किया गया है। इस उत्पादन को अगले वर्ष 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया जाने का लक्ष्य है जिससे 25 हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। आदिवासी क्षेत्रों में भी खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास-कार्य प्रगति पर है।

राज्य में खनिजों की खोज के लिए 29 परियोजनाओं पर कार्य चालू है जिनमें से रॉक फास्फेट झामरकोटड़ा बेस-मेटल व डेरीमेटल मुख्य हैं। झामरकोटड़ा रॉक फास्फेट भण्डार हेतु जो अन्वेषण कार्य अभी तक हुए हैं उसके अनुसार 4 करोड़ 30 लाख टन रॉक फास्फेट के भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं। खनिजों के खनन् हेतु अब तक प्रधान खनिजों के 86 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र एवं 207 खनन् पट्टे आवंटित किये जा चुके हैं एवं अप्रधान खनिज हेतु भी 27 खनन् पट्टे प्रदान किये गये हैं। चालू वर्ष में रॉक-फास्फेट के शुद्धिकरण हेतु संयंत्र लगाने के लिए भी प्रयास किये गये हैं।

राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ चल रही गंगानगर शुगर मिल्स में वर्ष 1976 में समाप्त हुए सीजन में चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष में 19.35 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई एवं 2.43 लाख क्विंटल चुकन्दर डिफ्यूज किया गया जिससे 1 लाख 4 हजार क्विं. चीनी का उत्पादन हुआ। इस मिल के लिए उत्पादन के लिहाज से यह वर्ष सर्वोत्कृष्ट रहा है।

जयपुर के आकर्षण एवं पर्यटकों के उसके प्रति लगाव को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत नये आवास, भ्रमण एवं वर्तमान आवास-स्थलों में सज्जा एवं सुविधाओं को जुटाना है। होटल उद्योग को प्रोत्साहित एवं गतिमान करने के लिए राज्य के भूमि-परिवर्तन नियमों में ढिलाई दी जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक श्रम तथा नियोजन का संबंध है, आर्थिक नियोजन के माध्यम से अधिक शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें प्रदान करने का प्रयास चालू है। लघु सिंचाई, भूमि-विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु मकानों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जलदाय, भू-संरक्षण एवं प्रारम्भिक शिक्षा आदि की परियोजनाओं के माध्यम से काफी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। सामान्यतः कृषकों एवं कृषक मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु एस. एफ. डी. ए. व एम. एफ. ए. एल. के कार्यक्रमों को अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर एवं उदयपुर जिलों में चालू रखा गया। राजस्थान नहरी क्षेत्र व चम्बल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी विश्व बैंक की सहायता से चालू रहे। इन सब कार्यक्रमों से बेरोजगारी की समस्या का काफी हल हुआ है। यह अनुमान है कि चालू वर्ष में इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2 लाख 62 हजार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाए प्रदान की गई।

इसी प्रकार कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों की मांग को देखते हुए कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अन्तर्ग्रहण की क्षमता बढ़ा कर 55 कर दी गई है। बेरोजगार अभियांत्रिकी एवं डिप्लोमाधारियों को जनशक्ति विभाग के रोस्टर के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया है। चालू वर्ष में 135 स्नातकों एवं 400 डिप्लोमाधारियों को राजकीय नियमों एवं स्वायत्तशासी नियमों में नियमित रोजगार दिलाया गया। इसके अतिरिक्त 6 स्नातक एवं 90 डिप्लोमाधारी चालू वर्ष के अन्तर्गत पूल योजना में वृत्तिका पा रहे हैं। इन व्यक्तियों को विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वायत्तशासी निगमों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने हेतु लगाया गया है। आगामी वर्ष में भी इन विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें प्रदान करने का कार्यक्रम है।

आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् राज्य में औद्योगिक शान्ति बनी रही। श्रमिकों में अनुशासन पनपने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। राज्य में 300 से अधिक श्रमिक वाला ऐसा कोई संस्थान नहीं है जिसमें कोई काम बन्द हुआ हो अथवा छंटनी हुई हो। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी छंटनी ले ऑफ व तालाबन्दी के मामले नहीं के बराबर रहें।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को बेरोजगार वृत्तिका योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को क्रमशः 150 रु. व 250 रु. मासिक दर से वृत्तिका दी जा रही है। दिसम्बर,

1976 तक अनुसूचित जाति के 1,966 एवं अनुसूचित जनजाति के 1,079 व्यक्तियों को वृत्तिका दी गई। इनमें से 879 अनुसूचित जाति के तथा 514 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक जिन्होंने सिंचाई सुविधा उपलब्धि के लिए कूप निर्माण व जीर्णोद्धार हेतु 5 हजार रुपये तक का ऋण आदि बैंक से लिया है उस ऋण पर लगे व्याज का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। चालू वर्ष में इस योजना में 19 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे लगभग 8 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त विकलांगों को भी रोजगार दिलाने हेतु नियम बनाये गये हैं जिसके अनुसार उनके लिए उपयुक्त पदों की प्रत्येक श्रेणी में 2 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं।

शहरी विकास की दिशा में राज्य के जयपुर एवं अजमेर के मास्टर-प्लान को अब कानूनी स्थिति प्राप्त हो गई है। कोटा के मास्टर प्लान को मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जोधपुर तथा बीकानेर में भी शहरी भूमि अधिनियम के लागू हो जाने के कारण इन दोनों नगरों के मास्टर प्लान को भी प्राथमिकता देते हुए अन्तिम रूप दिया जाएगा। शहरों में रिहायशी मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 12 हजार 465 मकानों का निर्माण और आवंटन किया है जिनमें से 80 प्रतिशत मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आय वर्ग के हैं। बोर्ड ने वर्ष 1976 तक निर्माण-कार्य पर कुल 24 करोड 16 लाख 26 हजार रुपये व्यय किये हैं तथा 29 करोड 12 लाख 20 हजार रुपये का अर्थ-संचय किया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बोर्ड द्वारा 10 करोड़ रुपये का करीब 5 हजार मकानों के निर्माण पर व्यय करने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में आवश्यक भूमि उपलब्ध होने पर करीब 10 हजार नये मकानों के निर्माण की योजना भी इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है।

ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीनों, समाज के कमजोर व पिछड़े तबके के लोगों के लिए, जिनके पास आवासीय भवन या भू-खण्ड नहीं हैं, आवासीय भू-खण्ड आवंटन का एक त्वरित अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत लगभग 8 लाख 54 हजार भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों की संख्या लगभग 5 लाख 54 हजार है। आवंटित इन भू-खण्डों पर सभी आवंटियों को मौके पर कब्जे दिये जाने का पूर्ण ध्यान रखा गया है। करीब 99.75 प्रतिशत लोग उन पर काबिज हैं।

आवंटित भू-खण्डों पर मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार ने हाउसिंग को-आपरेटिव फाइनेन्स सोसाइटी के माध्यम से करीब 10 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। नवम्बर, 1976 तक 4 हजार 6 मकान बनकर पूर्ण हो चुके थे और 11 हजार 5 सौ 58 मकानों पर निर्माण-कार्य चालू है।

राज्य की ग्रामीण-क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976–77 में 19.38 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया जिससे लगभग 3 लाख 77 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।

उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान नहर गंग, भाखरा और चम्बल नहर-क्षेत्र में माह जुलाई, 1975 से अब तक 3 लाख 62 हजार 790 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इनमें से 14 हजार 660 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीनों को 2 लाख 17 हजार 69 एकड़ भूमि आवंटित हुई है। वर्ष 1977–78 में राजस्थान नहर क्षेत्र में 2 लाख एकड़ भूमि का सर्वेक्षण करने एवं समस्त वृहत, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं में अब तक उपलब्ध विशेषतः चम्बल क्षेत्र की भूमि का मौके की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आवंटन करने का कार्यक्रम है तथा चूरू, नागौर व जोधपुर के भूमिहीन आवंटियों तथा गंगानगर के 'जी' श्रेणी के प्राथमिकता वाले भूमिहीन आवंटियों को बसाने की योजना है।

राज्य में वनों के विकास एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में काफी सफलता मिली है। 55 लाख नये वृक्ष लगाने के लक्ष्य के अन्तर्गत अकेले वन विभाग ने चालू वर्ष में 46 लाख 20 हजार वृक्ष लगाये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निजी व्यवसायों एवं जनसाधारण ने भी वृक्षारोपण में खुलकर भाग लिया है। आगामी वर्ष में एक करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने वन-क्षेत्र के कृषि हेतु आवंटित तथा खातेदारी व गैर-खातेदारी क्षेत्र से वृक्षों की निरंकुश कटाई पर रोक लगादी है। वन्य-जीव संरक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए रणथम्भौर क्षेत्र को केन्द्र प्रवर्तित योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस वर्ष बाघ-क्षेत्र-संरक्षण, वन्य-प्राणियों के लिए उपयुक्त व्यवस्था, सुरक्षा एवं विकास हेतु 10 लाख रुपये की संशोधित योजना प्रगति पर है।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान प्रगति के मार्ग पर है। शिक्षा-व्यय में प्रतिवर्ष गुणात्मक वृद्धि हो रही है। शिक्षा के विकास हेतु कई कदम इस वर्ष उठाये गये और शिक्षार्थियों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है। इनके साथ वर्ष 1976–77 में शिक्षा-व्यय 84.84 करोड़ रुपये हो जाएगा। छात्रों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राईवेट रूप में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। छात्रों को छात्रवृत्तियां एवं अध्ययन-ऋण भी स्वीकृत किये गये हैं। आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालयों में 99 बुक बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं तथा 200 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक शालाओं में व 10 बालिका विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी खासी प्रगति हुई है।

चालू वर्ष में चिकित्सा-सुविधाओं में काफी अधिक वृद्धि हुई है। नये चिकित्सालय

खोलने एवं चिकित्सा भवनों के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया था। इसके अतिरिक्त रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान देकर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय चेचक-उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के कारण राज्य में इस वर्ष कहीं भी चेचक से ग्रसित लोगों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य में आयुर्वेदिक सेवाओं के विस्तार हेतु 211 नवीन औषधालय स्थापित किये गये जिनमें से 10 औषधालय नहरी एवं 16 आदिवासी क्षेत्र में खोले गये हैं। औषध-निर्माण एवं वितरण आदि की सुविधाओं को बढ़ाया गया है।

नगरीय क्षेत्रों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु राज्य में प्रशंसनीय कार्य हुआ है। राज्य के 181 नगरों में से 179 नगरों में स्वच्छ जल-व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 2,531 ग्रामों को पाइप्ड जल प्रदाय योजनाओं एवं हैण्ड पम्प योजनाओं द्वारा जल उपलब्ध करवाया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर इन ग्रामों की संख्या 2,831 हो गई है और इस वर्ष में इस योजना पर 8 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

जयपुर शहर में आये पुरुषार्थी कई वर्षों से जयपुर के फुटपाथों पर छोटी-छोटी थड़ियां लगाकर बैठते थे, जिससे शहर में यातायात में बाधा उत्पन्न होती थी और सुन्दरता में भी कमी नजर आती थी। इन बातों को देखते हुए जयपुर शहर के 390 पुरुषार्थियों को व्यवसाय चलाने के लिए गन्दे नाले को पाटकर उस पर बहुत ही कम समय में "इन्दिरा बाजार" का निर्माण किया गया जिसमें 525 दुकानें हैं जिससे शहर में पुरुषार्थियों के व्यवसाय का स्थायी हल हुआ और साथ में नगर का सौन्दर्य भी बढ़ा है।

प्रशासन को गतिशीलता प्रदान करने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राजस्थान सिविल सर्विसेज (सेवा प्रकरण अपीलेट ट्रिब्यूनल) अधिनियम, 1976 को पारित कर ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। गोपनीय प्रतिवेदनों के प्रपत्रों में तब्दीली कर लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के आधार पर कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किये जाने की पद्धति आरम्भ की गई है। पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर की जा रही हैं। कर्मचारियों के पुराने विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए भी अभियान चालू किया गया जिसमें काफी तेजी लाई गई। पेन्शन स्वीकृति प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है। राज्यस्तरीय जन प्रशासन संस्थान में लगभग 60 पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं जिससे कि विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि कर सकें। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के समान समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों, स्वायत्त संस्थाओं एवं सरकारी निकायों के कर्मचारियों के लिए भी रोस्टर–प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर अब तक 32

विभागों में विभागीय समितियों का गठन किया जा चुका है।

सार्वजनिक विकास व व्यवसाय की दृष्टि से सड़कों का काफी महत्व है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सड़क योजना के अन्तर्गत हाथ में लिये गये कार्य काफी प्रगति पर हैं। रेल्वे सुरक्षा की दृष्टि से कई निर्माणाधीन ऊपरी पुलों का कार्य भी पूरा किया गया है और उनमें से जयपुर-टोंक सड़क पर गांधीनगर रेल्वे स्टेशन के निकट व सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन के निकट ऊपरी पुलों का निर्माण के बाद अब उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया है तथा जोधपुर में राई के बाग के निकट ऊपरी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य में इस वर्ष विकास कार्यक्रम को सफल बनाने सम्बन्धी प्रचार-कार्य में जन-सम्पर्क विभाग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष में जन सम्पर्क विभाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि राजस्थान में टी. वी. प्रसारण केन्द्र की स्थापना है।

इस वर्ष राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। अपराधों की संख्या में भारी कमी आयी है। राज्य सरकार के कठोर कदमों के कारण मिलावट एवं जमा-खोरी जैसी प्रवृत्तियों में काफी कमी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि प्रदेश में पूर्ण शान्ति एवं व्यवस्था रही। डाकू-उन्मूलन प्रयास भी इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि है। यही नहीं, बन्दियों के जीवन में सुधार के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जेल विभाग का पुनर्गठन किया गया। बन्दियों को अनेक प्रकार की सुविधायें उप-लब्ध कराई गईं। राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जो जेल-सुधार कार्यक्रम बनाने में सलाह देगी।

परिवहन साधनों को और बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण वर्ष के अन्त तक हो सकेगा। नेशनल परमिट योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व में आवं-टित 250 परमिटों में से 240 जारी किये जा चुके हैं और हाल ही में स्वीकृत 150 परमिट उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही जारी है।

राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र की जनता को भी सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके, इस दृष्टि से राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायपीठ जयपुर में 31 जनवरी, 1977 को स्थापित कर दी गई जो कि एक उल्लेख-नीय उपलब्धि है।

गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने हेतु गत वर्ष उठाये गये कदमों में काफी प्रगति हुई है और लगभग एक हजार से अधिक मामलों में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाई गई है।

इस सत्र का मुख्य कार्य जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है वह आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना है। मुझे विश्वास है कि आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करते समय आप राज्य के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान रखेंगे जिसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। राजस्थान सरकार इस सत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधि-

वासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान पशु चिकित्सक (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक 1973, राजस्थान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक 1973, राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान अनुसूचित ऋणि (ऋणिता समापन) (संशोधन) विधेयक 1977, राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक 1977, एवं राजस्थान राजमार्ग विधेयक 1977, आपके समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी ।

जनहित में आप सबका सदैव की भांति सहयोग प्राप्त हो तथा आप अपने विचार-विमर्श में सफल हों, ये ही मेरी शुभ कामनायें हैं ।

–जय हिन्द–